न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 11/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/18

अनवान

1. श्रीमती केसी पुत्री भगवान जी पत्नी जयचन्द जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीया, तहसील मावली, हाल रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीया

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता रूपलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीयां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री राजु पिता भेरूलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीयां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

1. वादीया द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में मुझ वादीयां के नाम 1/2 हिस्सा एवं मेरी बहिन मांगी पुत्री भगवान के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात की मैं वादीयां एवं मेरी बहिन सहखातेदार काश्तकार हैं तथा मैं वादीयां अपने हक हिस्सो की भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करती आ रही हूँ। उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण जो पिता–पुत्र होकर नाजायज रूप से मुझ वादीयां की जमीन को हड़पने की नियत से आ[illegible] मेरी खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा [illegible] रहे है और मुझ वादीयां को अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और मेरी खातेदारी व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में भी निरन्तर बाधा उत्पन्न कर रहे है और नुकसान पहुंचा रहे है और अनाधिकार रूप से बल पूर्वक मेरी जमीन में प्रवेश करने की कोशिश में है। पूर्व में प्रतिवादीगण द्वारा मेरे खेत में बोई हुई तुलसा की फसल में अपने मवेशीयों को घुसा कर पूरी फसल को नष्ट कर बर्बाद कर दी और मना करने पर हमारे साथ भी गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा किया जिसकी रिपोर्ट भी मेरे पुत्र शोभालाल ने दिनांक 20.11.2021 को पुलिस थाना वल्लभनगर में दी जिस पर कार्यवाही होकर प्रतिवादीगण को पाबन्द भी किया गया लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है और मेरी जमीन को हड़पने के उद्देश्य से बाहूबल के जरिए मुझ वादीयां द्वारा अपनी जमीन की सुरक्षा के लिये कराई गई कांटो/थोहर की बाड़ को भी प्रतिवादीगण ने नाजायज तरीके से ध्वस्त कर उसके स्थान पर तारबन्दी कर दी हैं और मेरी उक्त जमीन पर आवागमन करने के रास्ते पर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज तरीके से अतिक्रमण कर रास्ते को संकड़ा कर दिया हैं। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही है। इसलिये मैं वादीयां प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ।

3. यहकि मुझ वादीया का मजबूत प्राइमाफैसी कैस है। क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ वादीयां के खाते व कब्जे की है जिस पर मैं वादीयां अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रही हूँ जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण मुझ वादीयां के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादीयां को उक्त जमीन से बेदखल करने पर आमादा है और कृषि कार्य करने में भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा मुझ वादीयां को मेरी खातेदारी की जमीन पर बाउण्ड्रीवाल भी नहीं करने दे रहे है और मेरी भूमि पर की हुई बाड़ को भी बल पूर्वक हटाकर लौहे के तार की तारबन्दी करवा दी। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये मैं वादीयां प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूँ कि प्रतिवादीगण वाद [illegible] कलम संख्या एक में वर्णित मुझ वादीयां के कब्जे काश्त [illegible] खातेदारी [illegible] कृषि भूमियों का मुझ वादीयां को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादीयां को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, मुझ वादीयां को मेरी कृषि भूमि का उपायेग उपभोग करने में प्रतिवादीगण रूकावट पैदा नहीं करे, मुझ वादीयां को मेरी भूमि पर आवागमन करने के रास्ते का उपयोग उपभोग करने देवें, रास्ते में अवरोध पैदा नही करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, मुझ वादीयां को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ वादीयां को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में है।

4. यहकि मुझ वादीयां को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण अंतिम बार दिनांक 12.01.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादीयां के कब्जे व खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर कब्जा करने की कोशिश की तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. यहकि वादगत आराजीयात राजस्व ग्राम दून्धिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय आपको प्राप्त है।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादीयां के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि (अ) कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादीयां के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादीयां को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादीयां को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायें, मुझ वादीयां को मेरी भूमि पर आवागमन करने के रास्ते का उपयोग उपभोग करने देवें, रास्ते में अवरोध पैदा नही करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादीया को बेदखल नही करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। (ब) कि विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण वादीयां के खाते व कब्जे की जमीन पर जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadia
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा कर लेवे अथवा किसी भू भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो पुनः कब्जा मुझ वादीयां को दिलाया जाकर वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. प्रकरण में साक्ष्य वादीया प्रारम्भ की गई। वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीया पीडब्ल्यू 1 श्रीमती केसी पत्नी जयचन्द जाट स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश किया। वादीया द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 73 प्रदर्श 1, वादग्रस्त आराजीयात के फोटो ग्राफ्स प्रदर्श 2, 3 करवाये गये।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीया द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीया का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीया की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 1 ग्राम ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि वादीया एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादीयां का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन तारबन्दी कर दी गई हैं तथा मेरे उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी की जा रही हैं। वादीया द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 2, 3 मौके के फोटो ग्राफ्स पेश किये जिसमे तारबन्दी किया जाना जाहिर होता हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि प्रदर्श 1 अनुसार वादीया रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीयां का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादीया द्वारा कोई साक्ष्य [illegible] किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का [illegible] तो वादी[illegible] कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

के तहत् अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादीया सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीया का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता सं. 73 की आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीया को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीया, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती केसी पुत्री भगवान जी पत्नी जयचन्द जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीया, तहसील मावली, हाल रूण्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीया

बनाम्

1. श्री भेरूलाल पिता रूपलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीयां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री राजु पिता भेरूलाल जी जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी दून्ढीयां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 11/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/18

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता सं. 73 की आराजी नम्बर 363 रकबा 0.5747 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादीया को जबरन बेदखल नहीं करें साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादीगण का है तो वादीया, प्रतिवादीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.10.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली